

भूमि मूल्यांकन सूची दर क्रमांक

— प्रारूप 4 कं०को० 0309 यानि 22,000/-
रुपया प्रति वर्गमीटर पेज नं० 70 जो मिश्रित
उपयोग के अनुसार नियम क्रमांक 28 के
अनुसार है।

निर्माण मूल्यांकन सूची दर क्रमांक
आर०सी०सी० की छत सादा फर्श
स्टाम्प का कुल योग
लेखपत्र का प्रकार
भूमि का प्रकार
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित
मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य
विक्रय मूल्य
मौजा
आबादी
सम्पत्ति का प्रकार
मापन की इकाई
विक्रित क्षेत्रफल
फ्लैट नं०
सड़क की स्थिति

— प्रा० 5 क्रमांक 1 यानि 13,300/- रुपया
प्रति वर्गमीटर (पेज नं० 91)।

— 2,30,000/-

— बैनामा

— वाणिज्यिक

— 32,85,000/-

—000/-

— लहरगिर्द

— श्री रॉयल सिटी कॉलोनी

— आवासीय फ्लैट

— वर्गमीटर

— 93.02 वर्गमीटर

— 207

— ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे से अन्दर हटकर श्री
रॉयल सिटी कॉलोनी में स्थित श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स
9.00 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है।

चौहद्दी -

पूरब -

पश्चिम -

उत्तर -

दक्षिण -

दक्षिण -

प्रथम पक्ष की संख्या - एक

द्वितीय पक्ष की संख्या - एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष - मै० श्री डेवलपर्स शिवपुरी रोड नन्दनपुरा, झॉसी
(PAN-ABYFS-7144-L) द्वारा पार्टनर श्री इन्द्रपाल भल्ला पुत्र स्व० श्री अयोध्या नाथ
भल्ला निवासी- 42, सुशील इन्क्लेव, ग्वालियर रोड, शहर व जिला झॉसी (जिनकी
पहचान आधार कार्ड सं० 573787986235 से की गई है। मो०नं० 09415055654)
(पेशा- व्यापार)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष - निवासी-
..... (PAN-.....) (जिनकी पहचान सं० ----
..... से की गई है। मो०नं०) (पेशा-)

सम्पत्ति का विवरण - एक किता वाणिज्यिक इमारत श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स के द्वितीय तल
पर आवासीय फ्लैट नं० 207 वाकै मौजा लहरगिर्द आबादी श्री रॉयल सिटी कॉलोनी तहसील
व जिला झॉसी जिसकी कुल नाप 93.02 वर्गमीटर है। जिसमें आर०सी०सी० की छत टाइल्स
फर्श का कवर्ड एरिया 93.02 वर्गमीटर है। विक्रित फ्लैट ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे से अन्दर
हटकर श्री रॉयल सिटी कॉलोनी में स्थित श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स 9.00 मीटर चौड़े मार्ग पर
स्थित है। विक्रित सम्पत्ति दुकान द्वितीय तल के फर्श लेवल से 3.00 मीटर ऊँचाई तक वय
किया गया है। विक्रित फ्लैट जिस कॉम्प्लेक्स में स्थित है वह इमारत बहुमंजिला निर्मित है

जिसमें द्वितीय तल पर स्थित प्लैट का विक्रय किया जा रहा है। उक्त श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स झांसी विकास प्राधिकरण झांसी के स्वीकृत मानचित्र के अनुसार श्री रॉयल सिटी कॉलोनी में स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ विक्रित प्लैट का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित प्लैट लाल रंग से दर्शाया गया है। विक्रित तल नजूल नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित प्लैट श्री रॉयल सिटी कॉलोनी के वाणिज्यिक इमारत श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स में स्थित है जिसका मानचित्र झांसी विकास प्राधिकरण के मानचित्र संख्या 014100011 दिनांक 30.04.2022ई0 द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत है जिसका निर्माण स्वीकृत मानचित्र के तहत कराया गया है। क्रेता ने उपरोक्त सम्पत्ति को पूर्ण रूप से देख समझ कर एवं सभी प्रकार से सन्तुष्ट होकर उपरोक्त सम्पत्ति को क्रय किया है। उक्त में उ0प्र0 सरकार अधिसूचना आदेश सं0वि0क0नि0 -5-2756/11-2008- दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की मालियत -/- पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है, विक्रय मूल्य में सेवाकर, वैट टैक्स एवं जी0एस0टी0 टैक्स समायोजित है। उपरोक्त सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रर्भाय होने की सीमा के अन्तर्गत स्थित है जिसके अनुसार 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रय मूल्य - रूपया जो जरिये विभिन्न चैक निम्न प्रकार है:-

रकम	चैक नं0	बैंक का नाम	दिनांक
.....
.....
.....

पूर्व में ही प्राप्त कर लिया है। दस्तावेज हाजा में वर्णित चैकों का भुगतान न होने की स्थिति में बैनामा स्वतः निरस्त समझा जावेगा। क्रेता ने जमीन का मालिकाना हक, निर्माण की आवश्यक स्वीकृतियां और तल का निर्माण पूर्ण रूप से देख, समझ कर व पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने के बाद बैनामा करा रहे हैं।

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य 32,85,000/- बत्तीस लाख पिच्चासी हजार रूपया से अधिक नहीं है जिसमें मु0 20,47,000/- रूपया भूमि की कीमत व मु0 12,38,000/- रूपया निर्माण की कीमत है किन्तु विक्रय मूल्य अधिक होने के कारण स्टाम्प शुल्क विक्रय मूल्य पर अदा किया गया है।

क्रेता के ऊपर निम्न शर्तों की पाबन्दी हमेशा रहेगी जो इस प्रकार होगी।

1. श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या दिनांक को श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स के रख रखाव के लिय गठित की गई है और इस प्लैट को क्रय करने के बाद क्रेता इस सोसाइटी का एक सदस्य होगा। यह सोसाइटी अपने स्मृती पत्र और नियमावली के अधीन होकर अपना कार्य करेगी।
2. क्रेता श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के नियम और नियमावली के प्रति उत्तरदायी और अधीन होगा और समिति द्वारा सर्वसम्मति से निश्चित किये गये माहवार शुल्क को अदा करेगा और अदा न करने पर सोसाइटी को क्रेता की सामूहिक सुविधायें हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. क्रेता अगर इस प्लैट को विक्रय या किराए पर देना चाहता है, तो क्रेता को इसकी सूचना 30 दिन पूर्व विक्रेता/श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को देनी होगी तथा श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से नो ड्यूस् प्रमाण पत्र भी लेना होगा इसके बाद ही क्रेता विक्रय या किराये पर दे पायेगा।
4. प्लैट का वास्तविक स्वरूप, इमारत का एलिवेशन बदलने व सार्वजनिक सुविधाओं पर अतिक्रमण का अधिकार क्रेता को नहीं होगा।

5. क्रेता कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि अन्य किसी क्रेता या समिति को अनावश्यक परेशानी हो।
6. क्रेता सामूहिक सुविधाओं का उपयोग कर सकता है किन्तु अन्य किसी क्रेता को अनावश्यक परेशानी न हो इस बात का ध्यान रखेगा।
7. इमारत में स्थित अन्य तल स्वामियों के लिये आने-जाने हेतु जो रास्ता है व अन्य सार्वजनिक जगह को वह किसी प्रकार से न तो अवरुद्ध करेगा और न ही अतिक्रमित करेगा। क्रेता का मालिकाना हक केवल उसके क्रय किये हुये क्षेत्रफल तक सीमित रहेगा व खुले स्थान, कॉमन ऐरिया, लिफ्ट आदि का विक्रय का अधिकार क्रेता को नहीं होगा।
8. क्रेता का इमारत के ऊपरी तल व नीचे के तल से कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा व फ्लैट के अन्दर ऐसा कोई निर्माण व परिवर्तन नहीं करेगा जिससे ऊपरी तल व निचले तल में कोई हानी व परेशानी न हो। क्रेता फ्लैट में किसी भी तरह का ना ही कोई नई दीवार बनायेगा और न ही कोई बनी हुई दीवार तोड़ेगा।
9. इमारत के सबसे ऊपरी तल पर हमेशा विक्रेता का ही अधिकार रहेगा। विक्रेता ऊपरी तल को चाहे किसी को लीज पर या किराये पर एन्टिना या सेटेलाइट डिस, आदि लगवाने हेतु किसी को भी दे सकता है अथवा भविष्य में विक्रेता को झॉसी विकास प्राधि-करण से स्वीकृती मिल जाती है तो ऊपरी तल पर निर्माण भी करा सकता है। क्रेता का सबसे ऊपरी तल पर अपना किसी भी प्रकार का दावा करने किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का उपयोग करने का अधिकार होगा।
10. क्रेता सम्पत्ति कर और सभी प्रकार के कर चाहे किसी नाम से सम्बोधित किये जाऐ जो कि नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण द्वारा लगायें जायेगें तल के बिक्री के दिनांक से इसकी जमा करने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी इस प्रकार के क्रय किये भागों का कर निर्धारण व्यक्तिगत रूप से होगा।
11. बैनामा सम्बन्धित खर्च जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क व अन्य खर्च क्रेता द्वारा वहन किए जायेंगे और भविष्य में अगर स्टाम्प ड्यूटी में कोई कमी निकालता है और कोई जुर्माना लगाता है तो इसको भरने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। विक्रेता इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गये की -प्लान मानचित्र के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवे।

मुकरर यह है कि उपरोक्त बैनामा में मु०000/- रूपया e-Stamp Certificate No. IN-UP----- स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

गवाह (1) श्री निवासी- की पहचान सं० ----- से की गई है। मो०नं० (पेशा-)

गवाह (2) श्री निवासी- की पहचान सं० ----- से की गई है। मो०नं० (पेशा-)

दिनांक : 23-05-2021ई०

प्रारूपकर्ता - राजेश कुमार सिंह, दस्तावेज लेखक, तहसील झॉसी

अनुज्ञप्ति सं० 1/2010-11 मो०नं० 9415401278


टाईपकर्ता - दीपक सिंह

**REGISTRATION PLAN OF FLAT NO. 07 ON 2ND. FLOOR
AT SHREE ROYAL COMPLEX (SHREE ROYAL CITY)
AT MOUZA LAHAR GIRDI DISTT. JHANSI (U.P.)**

**SELLER:- SHREE DEVELOPERS
PURCHASER:-**

NOTE: SOLD AREA = 93.02M²

TOTAL AREA PROJECT = 2241.68 M²
TOTAL COMMERCIAL COVERED AREA OF GROUND & 1ST FLOOR = 1323.15 M²
TOTAL VIT. TILES COV. AREA OF 2ND, 3RD & 4TH FLOOR = 2196.87 M²



**MOHD.KAMRAN KHAN
OFF/RESI.19 ALIGOLE
AUTH. D/MAN(CIVIL)
J.D.A. JHANSI.
DATE:-02-05-2022
MOB. 9415073360**

SIG. OF PURCHASER

SIG. OF SELLER

व्यवसायिक सम्पत्तियों की मूल्यांकन सूची के प्रारूप 4 कं०को० 0309 यानि 58,000/-रूपया प्रति वर्गमीटर पेज नं० 88 के अनुसार है किन्तु विक्रित वाणिज्यिक दुकान प्रथम तल पर स्थित होने के कारण मूल्यांकन 10 प्रतिशत कम करके यानि 52,200/- रूपया प्रति वर्गमीटर से नियम क्रमांक 87 के अनुसार किया गया है।

स्टाम्प का कुल योग	-	78,500/-
लेखपत्र का प्रकार	-	बैनामा
भूमि का प्रकार	-	आवासीय
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	-	11,17,000/-
विक्रय मूल्य	-,000/-
मौजा	-	लहरगिर्द
आबादी	-	श्री रॉयल सिटी कॉलोनी
सम्पत्ति का प्रकार	-	वाणिज्यिक दुकान
मापन की इकाई	-	वर्गमीटर
विक्रित क्षेत्रफल	-	21.38 वर्गमीटर
दुकान नं०	-	102
सड़क की स्थिति	-	ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे से अन्दर हटकर श्री रॉयल सिटी कॉलोनी में स्थित श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स 9.00 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है।

चौहद्दी -

पूरब	-
पश्चिम	-
उत्तर	-
दक्षिण	-	कॉमन पैसेज

प्रथम पक्ष की संख्या - एक

द्वितीय पक्ष की संख्या - एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष - मैं० श्री डेवलपर्स शिवपुरी रोड नन्दनपुरा, झाँसी (PAN-ABYFS-7144-L) द्वारा पार्टनर श्री इन्द्रपाल भल्ला पुत्र स्व० श्री अयोध्या नाथ भल्ला निवासी- 42, सुशील इन्क्लेव, ग्वालियर रोड, शहर व जिला झाँसी (जिनकी पहचान आधार कार्ड सं० 573787986235 से की गई है। मो०नं० 09415055654) (पेशा- व्यापार)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष - निवासी- (PAN-.....) (जिनकी पहचान सं० ---- से की गई है। मो०नं०) (पेशा-)

सम्पत्ति का विवरण - एक किता वाणिज्यिक इमारत श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर स्थित एकल वाणिज्यिक दुकान नं० 102 वाकै मौजा लहरगिर्द आबादी श्री रॉयल सिटी कॉलोनी तहसील व जिला झाँसी जिसकी कुल नाप 21.38 वर्गमीटर है विक्रित दुकान का कुल भाग कवर्ड है। विक्रित दुकान ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे से अन्दर हटकर श्री रॉयल सिटी कॉलोनी में स्थित श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स 9.00 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है। विक्रित दुकान प्रथम तल के फर्श लेवल से 3 मीटर ऊँचाई तक वय किया गया है। विक्रित दुकान जिस कॉम्प्लेक्स में स्थित है वह इमारत बहुमंजिला निर्मित है जिसमें प्रथम तल पर स्थित दुकान नं० 102 का विक्रय किया जा रहा है। उक्त श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स झाँसी विकास प्राधि करण झाँसी के स्वीकृत मानचित्र के अनुसार श्री रॉयल सिटी कॉलोनी में स्थित है। दस्तावेज

हाजा के साथ विक्रित दुकान का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित दुकान लाल रंग से दर्शायी गयी है। विक्रित सम्पत्ति के नक्शे में वर्णित कॉमन एरिया का विक्रय नहीं किया गया। विक्रित दुकान नजूल नगर निगम, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित दुकान श्री रॉयल सिटी कॉलोनी के वाणिज्यिक इमारत श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स में स्थित है जिसका मानचित्र झाँसी विकास प्राधिकरण के मानचित्र संख्या 014100011 दिनांक 30.04.2022ई0 द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत हैं जिसका निर्माण स्वीकृत मानचित्र के तहत कराया गया है। क्रेता ने उपरोक्त सम्पत्ति को पूर्ण रूप से देख समझ कर एवं सभी प्रकार से सन्तुष्ट होकर उपरोक्त सम्पत्ति को क्रय किया है। उक्त में उ0प्र0 सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756/11-2008- दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की मालियत 11,17,000/- पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है, विक्रय मूल्य में सेवाकर, वैट टैक्स एवं जी0एस0टी0 टैक्स समायोजित है। उपरोक्त सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रर्भाय होने की सीमा के अन्तर्गत स्थित है जिसके अनुसार 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रय मूल्य - रूपया जो जरिये विभिन्न बैंक निम्न प्रकार है:-

रकम	बैंक नं0	बैंक का नाम	दिनांक
.....
.....
.....
.....

पूर्व में ही प्राप्त कर लिया है। दस्तावेज हाजा में वर्णित बैंकों का भुगतान न होने की स्थिति में बैनामा स्वतः निरस्त समझा जावेगा। क्रेता ने जमीन का मालिकाना हक, निर्माण की आवश्यक स्वीकृतियाँ और दुकान का निर्माण पूर्ण रूप से देख, समझ कर व पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने के बाद बैनामा करा रहे हैं।

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य 11,17,000/- ग्यारह लाख सत्रह हजार रूपया से अधिक नहीं है। किन्तु विक्रय मूल्य अधिक होने के कारण स्टाम्प शुल्क विक्रय मूल्य पर अदा किया गया है। क्रेता के ऊपर निम्न शर्तों की पाबन्दी हमेशा रहेगी जो इस प्रकार होगी।

1. श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या दिनांक को श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स के रख रखाव के लिय गठित की गई है और इस दुकान को क्रय करने के बाद क्रेता इस सोसाइटी का एक सदस्य होगा। यह सोसाइटी अपने स्मृती पत्र और नियमावली के अधीन होकर अपना कार्य करेगी।
2. क्रेता श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के नियम और नियमावली के प्रति उत्तरदायी और अधीन होगा और समिति द्वारा सर्वसम्मति से निश्चित किये गये माहवार शुल्क को अदा करेगा और अदा न करने पर सोसाइटी को क्रेता की सामूहिक सुविधायें हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।
3. क्रेता अगर इस दुकान को विक्रय या किराए पर देना चाहता है, तो क्रेता को इसकी सूचना 30 दिन पूर्व विक्रेता/श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को देनी होगी तथा श्री रॉयल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से नो ड्यूस् प्रमाण पत्र भी लेना होगा इसके बाद ही क्रेता विक्रय या किराये पर दे पायेगा।
4. दुकान का वास्तविक स्वरूप, इमारत का एलिवेशन बदलने व सार्वजनिक सुविधाओं पर अतिक्रमण का अधिकार क्रेता को नहीं होगा।
5. क्रेता कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि अन्य किसी क्रेता या समिति को अनावश्यक परेशानी हो।

6. क्रेता सामूहिक सुविधाओं का उपयोग कर सकता है किन्तु अन्य किसी क्रेता को अनावश्यक परेशानी न हो इस बात का ध्यान रखेगा।
7. इमारत में स्थित अन्य तल स्वामियों के लिये आने-जाने हेतु जो रास्ता है व अन्य सार्वजनिक जगह को वह किसी प्रकार से न तो अवरुद्ध करेगा और न ही अतिक्रमित करेगा। क्रेता का मालिकाना हक केवल उसके क्रय किये हुये क्षेत्रफल तक सीमित रहेगा व खुले स्थान, कॉमन ऐरिया, लिफ्ट आदि का विक्रय का अधिकार क्रेता को नहीं होगा।
8. क्रेता का इमारत के ऊपरी तल व नीचे के तल से कोई वास्ता व सरोकार नहीं होगा व फ्लैट के अन्दर ऐसा कोई निर्माण व परिवर्तन नहीं करेगा जिससे ऊपरी तल व निचले तल में कोई हानी व परेशानी न हो। क्रेता दुकान में किसी भी तरह का ना ही कोई नई दीवार बनायेगा और न ही कोई बनी हुई दीवार तोड़ेगा।
9. इमारत के सबसे ऊपरी तल पर हमेशा विक्रेता का ही अधिकार रहेगा। विक्रेता ऊपरी तल को चाहे किसी को लीज पर या किराये पर एन्टिना या सेटेलाइट डिस, आदि लगवाने हेतु किसी को भी दे सकता है अथवा भविष्य में विक्रेता को झाँसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृती मिल जाती है तो ऊपरी तल पर निर्माण भी करा सकता है। क्रेता का सबसे ऊपरी तल पर अपना किसी भी प्रकार का दावा करने किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का उपयोग करने का अधिकार होगा।
10. क्रेता सम्पत्ति कर और सभी प्रकार के कर चाहे किसी नाम से सम्बोधित किये जाए जो कि नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाये जायें तल के बिक्री के दिनांक से इसकी जमा करने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी इस प्रकार के क्रय किये भागों का कर निर्धारण व्यक्तिगत रूप से होगा।
11. बैनामा सम्बन्धित खर्चे जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क व अन्य खर्चे क्रेता द्वारा वहन किए जायेंगे और भविष्य में अगर स्टाम्प ड्यूटी में कोई कमी निकालता है और कोई जुर्माना लगाता है तो इसको भरने की जिम्मेदारी क्रेता की होगी। विक्रेता इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर एवं नक्शा नवीस द्वारा बनाये गये की -प्लान मानचित्र के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें।

मुकरर यह है कि उपरोक्त बैनामा में मु०000/- रूपया e-Stamp Certificate No. IN-UP----- स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

गवाह (1) श्री निवासी- की पहचान सं० से की गई है। मो०नं० (पेशा-)

गवाह (2) श्री निवासी- की पहचान सं० से की गई है। मो०नं० (पेशा-)

दिनांक : 23-05-2021ई०

प्रारूपकर्ता - राजेश कुमार सिंह, दस्तावेज लेखक, तहसील झाँसी

अनुज्ञप्ति सं० 1/2010-11 मो०नं० 9415401278


टाइपकर्ता - दीपक सिंह

**REGISTRATION PLAN OF SHOP NO. 02 ON 1ST. FLOOR,
AT SHREE ROYAL COMPLEX, (SHREE ROYAL CITY)
AT MOUZA LAHAR GIRDI DISTT. JHANSI (U.P.)**

**SELLER:- SHREE DEVELOPERS
PURCHASER:-**

NOTE: SOLD AREA = 21.38MF

TOTAL AREA PROJECT = 2241.09 MF
TOTAL COMMERCIAL COVERED AREA OF GROUND & 1ST FLOOR = 1322.15 MF
TOTAL VIT. TILES COV. AREA OF 2ND, 3RD & 4TH FLOOR = 2156.87 MF



**MOHD.KAMRAN KHAN
OFF/RESI.19 ALIGOLE
AUTH. D/MAN(CIVIL)
J.D.A. JHANSI.
DATE:-02-05-2022
MOB. 9415073360**

SIG. OF PURCHASER

SIG. OF SELLER